TATA

**टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

पंजीकृत पता : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400013,
शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 16/106, द्वितीय तल, जेएस टॉवर, द मॉल, कानपुर- 208001

**अचल संपत्ति के विक्रय की सूचना**

**(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत)**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) तथा नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ 30 दिवसीय ई–नीलामी सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न वर्णित उधारकर्ता तथा/सह–उधारकर्ता, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (उधारकर्ताओं) को विशिष्ट रूप में सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास बंधककृत निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 29–05–2025 को **"जैसी है जहाँ है"** एवं **"जैसी है जो है"** और **"वहाँ जो कुछ भी है" तथा "बिना किसी संसाधान"** आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ताओं की ओर बकाया देयराशियों की वसूली के लिए किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रय के किसी स्थगन/समापन के अभाव में, उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति/संपत्ति का विक्रय ई–नीलामी द्वारा उक्त 29–05–2025 को अप. 2.00 बजे किया जायेगा। ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिये धराज के डिमांड ड्राफ्ट से युक्त मोहरबंद लिफाफा, टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के पास 28–05–2025 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा के पते, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 16/106, द्वितीय तल, जेएस टॉवर, द मॉल, कानपुर– 208001 के पास प्रस्तुत/जमा करना होगा।

प्रतिभूत परिसंपत्ति/अचल संपत्ति का विक्रय, यहाँ इसमें निम्न विवरणित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार **"जैसी है जहाँ है अवस्था"** पर आधारित होगा :

| क्र. सं. | ऋण खाता सं. तथा शाखा | उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि / गारंटर(रों) के नाम | माँग सूचना के अनुसार राशि | आरक्षित मूल्य | धरोहर राशि | अधिग्रहण का प्रकार | तिथि के अनुसार बकाया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TCHHL 0371000100076113 और TCHHL 0371000100075949 | श्री अविनाश गुप्ता उपनाम अविनाश पुत्र श्री राम विलास गुप्ता, श्रीमती अनीता उपनाम अनीता गुप्त पत्नी श्री अविनाश गुप्ता उपनाम अविनाश | रु. 24,08,209/– (रुपये चौबीस लाख आठ हजार दो सौ नौ मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या TCHHL0371000100076113 के अंतर्गत देय तथा भुगतानयोग्य है और रु. 1,09,477/– (रुपये एक लाख नौ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या TCHHL0371000100075949 के अंतर्गत देय तथा भुगतानयोग्य है अर्थात् कुल रु. 25,17,686/– (रुपये पच्चीस लाख सत्रह हजार छह सौ छियासी मात्र) 18–10–2023 | रु. 23,73,300/– (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ मात्र) | रु. 2,37,330/– (रुपये दो लाख सैंतीस हजार तीन सौ तीस मात्र) | भौतिक | रु. 3017235/– (रुपये तीस लाख सत्रह हजार दो सौ पैंतीस मात्र) की राशि आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0371000100076113 के अंतर्गत देय तथा भुगतानयोग्य है और रु. 221078/– (रुपये दो लाख इक्कीस हजार अठ्ठहत्तर मात्र) की राशि आपके द्वारा अनुबंध खाता संख्या TCHHL0371000100075949 के अंतर्गत देय तथा भुगतानयोग्य है अर्थात् कुल रु. 3238313/– (रुपये बत्तीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ तेरह मात्र) 22–04–2025 के अनुसार |

**अचल संपत्ति का विवरण :** निर्मित मकान नंबर 847 के भू तल पर आवासीय फ्लैट नंबर जी – 01 के समस्त भाग तथा अंश, जिसका कवर्ड एरिया का अधिमापन 81 वर्ग मीटर है, जो उसके नीचे की भूमि में अविभाजित अंश के साथ है जिसकी अधिमाप 20.25 वर्ग मीटर है जो गुजैनी, ब्लॉक ए, कानपुर सिटी, कानपुर– 208017 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ है तथा मकान नंबर 847 की **सीमा इस प्रकार है :– पूर्व–** सड़क 09 मीटर, **पश्चिम–** मकान नंबर 740 और सड़क 4.5 मीटर, **उत्तर–** मकान नंबर 846, **दक्षिण–** मकान नंबर 848

नीलामी में, जनसाधारण को व्यक्तिगत रूप में अपनी बोली(लियां) जमा/प्रस्तुत करने के लिए निमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस विक्रय के संबंध में कोई भी कार्य–दायित्व निभा रहा है, यद्यपि वह कार्य–दायित्व को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ही क्यों न निभा रहा हो, वह बोलीदान नहीं कर सकता, बेची गई अचल संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित करने का प्रयास नहीं कर सकता।

विक्रय जो है, वह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित भावी शर्तों के अधीन होगा :

**टिप्पणी :** ई–नीलामी, पोर्टल **http://bankauctions.in/** के माध्यम से 29–05–2025 को अप. 2.00 से अप. 3.00 बजे तक 5 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ संचालित की जायेगी।

**नियम एवं शर्तें : (1)** यहां इसमें निम्न दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण यद्यपि अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा में हुई/होनेवाली किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। बोली राशि से संबंधित, अथवा बोलीदाता से संबंधित किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में अचल संपत्ति को एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगा। **(2)** अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। **(3)** बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/– (रुपए दस हजार मात्र) होगी। **(4)** संपत्ति के क्रयार्थ जमा/प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में आहरित शाखा पते पर भुगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोलीदाओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से धराज के भुगतान हेतु कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **(5)** सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह बोलीदान हेतु विधिक रूप में सदैव अर्हक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा हो। **(6)** अभिलेखित कारणों के लिए यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेक पर होगा कि वे विक्रय स्थगित कर दें/उसे समाप्त कर दें। **(7)** अचल संपत्ति का अवलोकन जो है वह पूर्व अनुमति प्राप्त करके 21–05–2025 को 11 से लेकर 5 बजे के बीच किया जा सकता है। (8) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को ऐसी घोषणा के बाद तत्काल, क्रयराशि/बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। **(9)** यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो क्रयराशि की भुगतानयोग्य शेष रकम का भुगतान क्रेता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वां दिवस के बाद आनेवाले प्रथम कार्यदिवस में करना होगा। (10) ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक होने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा। **(11)** टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात किसी भारग्रस्ता के विवरण, जिस हेतु संपत्ति है : उपरोक्त तालिका के अनुसार हैं। इच्छुक बोलीदाता को सलाह है कि वे संवैधानिक प्रदेयताओं जैसे कि सपंत्ति कर, विद्युत इत्यादि के बकायों सहित संपत्ति पर भारग्रस्तताओं के संबंध में अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र जांच–पड़ताल कर लें। **(12)** किसी अन्य विवरण के लिए अथवा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया हेतु प्रस्तावित बोलीदातागण, सेवा प्रदात्री, मैसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, 6ठवां तल, मैत्रिवनम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद– 500038 ईमेल : **info@bankauctions.in** अथवा श्री मनीष बंसल को उनकी ई–मेल आईडी : Manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नं. 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्नों को व्हाट्सऐप नंबर– 9999078669 पर प्रेषित करें। **(13)** सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लागू एवं भुगतानयोग्य होगा जिसका सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना है। सर्वोच्च बोलीदाता को भुगतान को स्वामी/उधारकर्ता(ओं) के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है और चालॉन की प्रति हमारी कंपनी के पास जमा/प्रस्तुत करनी होगी। **(14)** उपरोक्त विवरणों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट में उपलब्ध निम्न लिंक **https://surl.li/yypzrt** का संदर्भ ग्रहण करें। **(15)** कृपया लिंक : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html** को भी देखें।

कृपया नोट करें – टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति के विक्रय/नीलामी के लिये उक्त वर्णित नीलामकर्ता साझीदार के अलावा किसी अन्य ब्रोकर/एजेंट को कार्यव्यस्त नहीं किया है। इच्छुक पक्षकारों को इस विषय के संबंध में पूछे जानेवाले समस्त प्रश्नों एवं पूछताछों के लिए केवल अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी से ही संपर्क करना चाहिये।

**स्थान : कानपुर**
**दिनाँक : 28–04–2025**

हस्ता./–
**प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**



AXIS BANK

**एक्सिस बैंक लिमिटेड (सीआईएनः L65110GJ1993PLC020769)**
**स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, 7वीं मंजिल, कॉर्पोरेट ऑफिस, 'एक्सिस हाउस', सी–2, वाडिया इंटरनेशनल सेंट्रो, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वोरी, मुंबई–400025.**
**दूरभाषः +91–8451832131, www.axisbank.comÑ**

1. **मेसर्स बेरी ट्रेडिंग (श्री देवेंद्र कुमार जायसवाल क की प्रोपराइटरशिप फर्म)**
69/1 मेहरा एस्टेट, आशा उषा कंपाउंड, एलबीएस रोड, यूनियन बैंक के सामने, विक्रोली–पश्चिम, मुंबई–400079
2. **श्री देवेंद्र कुमार जायसवाल (प्रोपराइटर, बंधककर्ता गारंटर)**
117/84ए सी–19, सर्वोदय नगर, हंस नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश 208005
साथ ही– 301 टिवोली सीएचएस लिमिटेड, हीरानंदानी गार्डन पवई मुंबई 400076
3. **श्री यश जयसवाल (बंधककर्ता एवं गारंटर)**
हीरानंदानी स्कूल के पास, ईडन 2, ए–702। हीरानंदानी गार्डन, पवई 11 टी एस.ओ., मुंबई। महाराष्ट्र,400076
साथ ही–301 टिवोली सीएचएस लिमिटेड, हीरानंदानी गार्डन पवई मुंबई–400076
4. **श्रीमती रीता जयसवाल (बंधककर्ता एवं गारंटर)**
2601, ग्लेनरिज, हीरानंदानी गार्डन, हीरानंदानी, पवई आईआईटी, मुंबई महाराष्ट्र 400076
साथ ही–301 टिवोली सीएचएस लिमिटेड, हीरानंदानी गार्डेंस, पवई मुंबई–400076

**बेरी ट्रेडिंग के खाते में प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना**

**हम एक्सिस बैंक लिमिटेड (जिसे आगे 'हमारा बैंक या बैंक' कहा जाएगा) अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से आपको यह वैधानिक सूचना प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रावधान के अंतर्गत जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है**

1. आप सम्बोधिती संख्या 1 ने कौर वैश्य बैंक से मौजूदा ऋण सीमा के अधिग्रहण और उसमें वृद्धि के लिए हमारे बैंक से संपर्क किया था और आप नंबर 1 के अनुरोध पर बैंक ने कौर वैश्य बैंक से 7 करोड़ रुपये की मौजूदा ऋण सीमा के अधिग्रहण के साथ–साथ उसमें 1 करोड़ रुपये की वृद्धि को मंजूरी पत्र संख्या AXIS/SME/MUM-lll/1377/2017-18 दिनांक 26 मार्च, 2018 के अनुसार दे दी। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विशेष रूप से बताया गया हैः

| सुविधा | स्वीकृति सीमा |
|---|---|
| कार्यशील पूँजी | |
| नकद ऋण (कौर वैश्य बैंक से ली गई मौजूदा सीमा से 7.00 करोड़ रुपये की वृद्धि) | 8.00 |
| कुल | 8.00 |

2. उपर्युक्त ऋण सुविधा बैंक द्वारा ब्याज दर 9% प्रति वर्ष (एमसीएलआर+ 0.85%) पर स्वीकृत की गई थी। नकद ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था और जिसे मांग पर चुकाया जाना था और नकद ऋण सुविधा कार्यशील पूंजी के उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए उक्त स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार थी।
3. आप नंबर 1 ने अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए 8 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट सुविधा का उपयोग किया था और आप नंबर 1 ने एक बार फिर कैश क्रेडिट सुविधा के नवीनीकरण और वृद्धि के लिए बैंक से संपर्क किया था और आप नंबर 1 के अनुरोध पर विचार करने के बाद बैंक ने 16 मार्च 2019 के अपने स्वीकृति पत्र के माध्यम से निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार कैश क्रेडिट सुविधा को 9 करोड़ रुपये तक नवीनीकृत और बढ़ाया है, जिसे आप नंबर 1 द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार आप नंबर 1 की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए कैश क्रेडिट सुविधा मंजूर की गई थी और इसे मांग पर 9.75% प्रति वर्ष (3 महीने का एमसीएलआर प्लस 1.10%) की दर से ब्याज के साथ मासिक रेस्ट्स के साथ चुकाया जाना था।
4. आप सम्बोधिती नंबर 1 ने अगस्त 2020 में फिर से बैंक से संपर्क किया और कोविड–19 से उत्पन्न तरलता बेमेल को पूरा करने के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त ऋण सुविधा की मंजूरी का अनुरोध किया, जिस पर बैंक ने 31 अगस्त 2020 के अपने स्वीकृति पत्र के माध्यम से 1.80 करोड़ रुपये की राशि के लिए कार्यशील पूंजी अवधि ऋण मंजूर किया। 31 अगस्त 2020 के स्वीकृति पत्र की शर्तों और नियमों को 4 सितंबर 2020 के स्वीकृति पत्र के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसके तहत ब्याज दर को मासिक रेस्ट्स के साथ 8.80% प्रति वर्ष कर दिया गया। आप नंबर 1 ने 5 सितंबर, 2020 के अपने संवितरण अनुरोध पत्र के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति पत्रों की शर्तों और नियमों को भी स्वीकार कर लिया है।
5. आप नंबर 1 ने अगस्त 2021 में फिर से बैंक से संपर्क किया 1.80 करोड़ और बैंक ने 3 अगस्त 2021 के अपने स्वीकृति पत्र के माध्यम से उक्त ऋण सुविधाओं को नवीनीकृत किया है। 3 अगस्त 2021 के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार नकद ऋण सुविधा के लिए ब्याज दर को संशोधित कर 8.35% प्रति वर्ष मासिक रेस्ट्स के साथ और कार्यशील पूंजी अवधि ऋण के लिए 8.80% प्रति वर्ष मासिक रेस्ट्स के साथ संशोधित किया गया था। आप नंबर 1 ने भी उपरोक्त स्वीकृति पत्र की शर्तों को स्वीकार कर लिया है।
6. आप नंबर 1 ने नवंबर 2021 में फिर से बैंक से संपर्क किया और कोविड–19 से उत्पन्न तरलता बेमेल को पूरा करने के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त ऋण सुविधा की मंजूरी का अनुरोध किया, जिस पर बैंक ने 1 नवंबर 2021 के अपने स्वीकृति पत्र के माध्यम से 1.11 करोड़ रुपये की राशि के लिए कार्यशील पूंजी अवधि ऋण मंजूर किया। 1 नवंबर 2021 के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार ब्याज दर मासिक रेस्ट्स के साथ 8.80% प्रति वर्ष थी और आप नंबर 1 ने उपरोक्त स्वीकृति पत्रों की शर्तों और नियमों को भी स्वीकार कर लिया है।
7. आप नंबर 1 ने नवंबर 2022 में फिर से बैंक से संपर्क किया और मौजूदा ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण का अनुरोध किया, जिस पर बैंक ने 9 नवंबर 2022 के अपने स्वीकृति पत्र के माध्यम से कुल 11.31 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का नवीनीकरण किया है। दिनांक 9 नवंबर 2022 के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार, आप नंबर 1 ने भी उपरोक्त स्वीकृति पत्रों की शर्तों को स्वीकार कर लिया है।
8. आप नंबर 1 ने जनवरी 2024 में आवेदक बैंक से फिर से संपर्क किया और नीचे दिए गए अनुसार कुल 11.53 करोड़ रुपये की मौजूदा ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण का अनुरोध कियाः

| क्र.सं. | सुविधा की प्रकृति | वर्तमान सीमा | वर्धित सीमा |
|---|---|---|---|
| 1. | कैश क्रेडिट | 9.00 | 9.00 |
| 2. | एड–हॉक कैश क्रेडिट | 0.00 | 1.00 |
| 3. | डब्ल्यूसीटीएल–ईसीएलजीएस 1.0 | 0.45 | 0.45 |
| 4. | डब्ल्यूसीटीएल–ईसीएलजीएस 1.0 एक्सटेंशन | 1.08 | 1.08 |
| कुल | | 10.53 | 11.53 |

बैंक ने दिनांक 2 जनवरी 2024 के अपने स्वीकृति पत्र के माध्यम से उक्त ऋण सुविधाओं को स्वीकृति पत्र की शर्तों और नियमों के अनुसार नवीनीकृत किया है, जिसे आपके द्वारा भी विधिवत स्वीकार कर लिया गया है।

9. आप, सम्बोधिती क्रमांक 1 ने इसके विचार में और स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तों और नियमों के आधार पर आपके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं को प्रतिभूत करने के लिए हमारे बैंक के पक्ष में विभिन्न प्रतिभूति दस्तावेजों को निष्पादित किया था।
10. आप, सम्बोधिती क्रमांक 1 को स्वीकृत सुविधाएं, अनुसूची कके भाग बी में निर्धारित विभिन्न दृष्टिबंधक विलेखों के निष्पादन द्वारा अनुसूची कके भाग ए में अधिक विशेष रूप से निर्धारित आप क्रमांक 1 की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर दृष्टिबंधक और प्रभार के माध्यम से वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्राथमिक प्रतिभूति के निर्माण के अधीन और साथ ही अनुसूची कक के भाग ए में अधिक विशेष रूप से निर्धारित बंधक संपत्ति पर सामान्य संपार्श्विक प्रतिभूति के निर्माण के अधीन दी गई थीं, जैसा कि अनुसूची कक के भाग बी में निर्धारित दस्तावेजों के निष्पादन के साथ–साथ अनुसूची III में निर्धारित के अनुसार बैंक के पक्ष में आप क्रमांक 2 से 4 की व्यक्तिगत गारंटी निष्पादित की गयी।
11. हमें आपको सूचित करना है कि आप, सम्बोधिती क्रमांक 1 से 4 ने हमारे बैंक के पक्ष में उनके द्वारा निष्पादित प्रतिभूति दस्तावेजों की विभिन्न शर्तों और नियमों का पालन करने में चूक की है। हमने बार–बार आप, सम्बोधिती क्रमांक 1 को उपरोक्त क्रेडिट सुविधाओं के तहत देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। हालाँकि, आप, सम्बोधिती क्रमांक 1, प्रतिभूति दस्तावेजों के संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। हमारे बैंक ने आप, अभिदाता क्रमांक 1 से 5 के प्रति पर्याप्त उदारता दिखाई है, दूसरी ओर आप, अभिदाता क्रमांक 1 ने बकाया राशि की पुष्टि की है, हालाँकि आप, अभिदाता क्रमांक 1 से 4 हमारे बैंक को विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के तहत बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं। इसलिए, आपके खाते को, सम्बोधिती संख्या 1 को बकाया राशि/किस्त/ब्याज का भुगतान करने में आपकी चूक के कारण 27.07.2024 को एनपीए खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी सूचना बैंक ने अपने पत्र दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से आपको दी थी। 31.03.2025 तक, आपके खाते में 8,76,57,990/– रुपये की राशि बकाया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया हैः

**(राशि रुपये में)**

| सुविधा | स्वीकृति सीमा | मूलधन | क्रेडिट का विल ब्याज | 31.03.2025 तक कुल देयताएं |
|---|---|---|---|---|
| कैश क्रेडिट | 10,00,00,000 | 6,60,21,221 | 75,19,814 | 7,35,41,035 |
| ईसीएलजीएस 1 | 45,00,000 | 24,98,005 | 4,27,134 | 29,25,139 |
| ईसीएलजीएस 2 | 1,08,00,000 | 95,58,335 | 16,33,481 | 1,11,91,816 |
| कुल | 11,53,00,000 | 7,80,77,561 | 95,80,429 | 8,76,57,990 |

12. हमारी बार–बार की मांगों के बावजूद, आपने अपने अस्थायी ऋण खाते में बकाया राशि के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं किया है/आपने अपनी देनदारियों का निर्वहन नहीं किया है।
13. हम आपसे वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अनुसार, 01.04.2025 से लागू ब्याज दर के साथ 8,76,57,990/– रुपए की राशि का भुगतान करने का आह्वान करते हैं, जिसमें आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार मासिक रेस्ट्स/और चूक के मामले में अतिरिक्त ब्याज शामिल है, तथा इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें, जिसमें विफल रहने पर हम उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके बैंक के पक्ष में आपके द्वारा बनाई गई निम्नलिखित प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे।
14. हम आगे कहते हैं कि आप नंबर 1 ने शेष राशि की शुद्धता को स्वीकार और पुष्टि करते हुए दिनांक 07.09.2020 को सरल डेबिट बैलेंस पुष्टि पत्र भी निष्पादित किया था।
15. कृपया ध्यान दें कि यदि आप 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं और यदि बैंक इस अधिनियम के तहत अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करता है और यदि बकाया राशि प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है, तो हम आपसे शेष राशि की वसूली के लिए कानून की अदालत/ऋण वसूली अधिकरण में आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।
16. हम आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा 13 की ओर आकर्षित करते हैं, इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटान या लेन–देन करने से रोक दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि इस धारा का कोई भी उल्लंघन गंभीर परिणाम उत्पन्न करेगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 29 में निर्धारित किया गया है।
17. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।
18. उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आप सभी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि प्रतिभूत परिसंपत्तियों के परिसमापन से प्राप्त आय बैंक के बकाए को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बैंक उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करके शेष बकाया राशि की वसूली के लिए आप सभी के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग–अलग कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
19. कृपया ध्यान दें कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत बैंक द्वारा अपनी कार्रवाई की प्रक्रिया में किए जाने वाले सभी लागत, शुल्क, व्यय और उसके प्रासंगिक सरफैसी अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से आपसे वसूल किए जा सकेंगे।
20. कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता के खिलाफ ऐसी अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ने के हमारे अधिकार पर, जैसा कि बैंक उचित समझे, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया गया है।

**हस्ता./–अधिकृत अधिकारी**
**एक्सिस बैंक लिमिटेड**

**अनुसूची I**

**भाग ए–** 1. समग्र दृष्टिबंधक विलेख दिनांक 28 मार्च, 2018;
2. समग्र दृष्टिबंधक विलेख दिनांक 20 अप्रैल, 2019;
3. सावधि ऋण सह दृष्टिबंधक करार दिनांक 5 सितंबर 2020;

**भाग बी–1. चालू परिसंपत्तियां:** आप नंबर 1 के कच्चे माल, प्रक्रियाधीन माल, अर्द्ध–तैयार और तैयार माल, उपभोग्य सामग्रियों के भंडार और पुर्जे तथा ऐसे अन्य चल संपत्तियां, जिनमें बही ऋण, तेल, चाहे दस्तावेजी हों या स्वच्छ, वर्तमान और भावी दोनों, आप नंबर 1 के कब्जे में हों या उसके नियंत्रण में हों या नहीं, चाहे अब खुले पड़े हों या बक्सों में हों या जो अब पड़े हों या इनके आस–पास संग्रहीत हों या इन संपत्तियों के जारी रहने के दौरान समय–समय पर कर्जदार के सभी कारखानों, परिसरों और गोदामों में लाए जा सकते हैं या उनमें संग्रहीत किए जा सकते हैं या उनमें या इनके आस–पास रखे जा सकते हैं जो 69/11, मेहरा एस्टेट, आशा उषा कंपाउंड, एल.बी.एस. मार्ग, यूनियन बैंक के सामने, विखोरोली (पश्चिम), मुंबई – 400 079 और भारत में किसी अन्य स्थान पर स्थित हैं या जहां भी वे आप नंबर 1 के आदेश या निपटान के दौरान या उसके दौरान किसी भी पक्ष द्वारा रखे जा सकते हैं या रखे गये हैं। पारगमन या खुले समुद्र में या ऑर्डर या डिलीवरी पर (जिसे 'वर्तमान परिसंपत्तियां' कहा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति, जैसा कि संदर्भ अनुमति दे या अपेक्षित हो, ऐसी किसी भी या सभी वर्तमान परिसंपत्तियों का अर्थ होगी)।

2. खाता परिसंपत्तियांः आप नंबर 1 के बैंक की सभी शाखाओं (**'एक्सिस बैंक खाते'**) के सभी खाते और एक्सिस बैंक खातों में, के लिए, के तहत और उनके संबंध में कर्जदार के सभी अधिकार, स्वामित्व, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें और सभी नकदी प्रवाह और खाता परिसंपत्तियां प्राप्तियां और सुश्री बेरी ट्रेडिंग के संबंध में उत्पन्न होने वाली सभी आय और एक्सिस बैंक खातों में देय बीमा आय सहित सभी धनराशियां, जो जमा की गई हैं जो एक्सिस बैंक खातों में सभी राशियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वर्तमान और भावी दोनों (एक्सिस बैंक खातों में जमा / झूठ बोलने के लिए संदर्भित, सभी निवेश, संपत्ति, उपकरण और प्रतिभूतियां 'खाता परिसंपत्तियां' के रूप में, जो अभिव्यक्ति, संदर्भ की अनुमति या आवश्यकता के अनुसार, ऐसी खाता परिसंपत्तियों में से किसी एक या प्रत्येक का अर्थ होगा)।

**3. प्राप्यः** आप नंबर 1 और/या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति को देय, प्राप्त और/या प्राप्य सभी राशियां, सभी बही ऋण, सभी नकदी प्रवाह और प्राप्य और मेसर्स बेरी ट्रेडिंग के संबंध में कसे प्राप्त होने वाली आय, और कर्जदार के सभी अधिकार, शीर्षक हित, लाभ, दावे और मांगें, जो भी हो, सभी पूर्वोक्त परिसंपत्तियों के संबंध में, जिसमें कर्जदार की वर्तमान और भावी नकदी शामिल है, परंतु उस तक सीमित नहीं है (जिसे 'प्राप्य' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ, जैसा कि संदर्भ अनुमति दे या अपेक्षित हो, ऐसी कोई भी या सभी प्राप्य होगी)।

**अनुसूची II**

**भाग ए–**1. सरल बंधक अनुबंध दिनांक 29 अक्टूबर 2018;
2. पूरक सरल बंधक दिनांक 20 अप्रैल 2019;
3. सरल बंधक अनुबंध दिनांक 22 जनवरी 2021।
4. पूरक सरल बंधक दिनांक 14 जनवरी 2022

**भाग बी–**1. दुकान नंबर 16, ग्राउंड फ्लोर, कुकरेजा सेंटर परिसर सहकारी समिति लिमिटेड, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, 478.168 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र, **सीमाएंः पूर्व की ओरः** प्लॉट नंबर 18 से **दक्षिण की ओरः** प्लॉट नंबर 14 और 15 से **पश्चिम की ओरः** 13 मीटर चौड़ी सड़क से **उत्तर की ओरः** 30 मीटर चौड़ी सड़क से; 2. दुकान नं. 23, ग्राउंड फ्लोर, कुकरेजा सेंटर परिसर सहकारी समिति लिमिटेड, प्लॉट नं. 13, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, 546.00 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र, **सीमाएंः पूर्व की ओरः** प्लॉट नं. 18 से **दक्षिण की ओरः** प्लॉट नं. 14 और 15 से **पश्चिम की ओरः** 13 मीटर चौड़ी सड़क से **उत्तर की ओरः** 30 मीटर चौड़ी सड़क से;
इसके साथ ही अन्य परिसंपत्तियों जैसे फर्नीचर औरः जुड़नार, उपकरण, मशीनरी – स्थिर और चल, संरचनाएं और उस पर स्थित कोई अन्य संपत्ति के साथ–साथ निर्मित इमारतें।

**अनुसूची III**

1. गारंटी विलेख दिनांक 28 मार्च 2018 आपके द्वारा निष्पादित संख्या 1, 2, 3 और 4;
2. गारंटी विलेख दिनांक 20 अप्रैल 2019 आपके द्वारा निष्पादित संख्या 1, 2 और 3 और 4;
3. गारंटी विलेख दिनांक 25 जनवरी 2024 आपके द्वारा निष्पादित संख्या 1 से 4;


# भाई–बहन को बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर

मथुरा, 27 अप्रैल (जनसत्ता)।

मथुरा जिले के मगोर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में कार सवार बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे भाई–बहन को गोली मार दी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि अहमल निवासी चंद्रपाल सिंह अपने मकान का पुनःनिर्माण करा रहे हैं इसीलिए उनका बेटा विश्वेंद्र सिंह तथा बेटी शालू घर के बाहर चबूतरे पर चरपाई डालकर सो रहे थे।

**थाना प्रभारी ने बताया कि एक गोली विश्वेंद्र के पैर को भेदती हुई दूसरी चारपाई पर सो रही उसकी बहन शालू के पेट में जा लगी।**

उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े दस बजे सौंख की तरफ से सफेद कार में आए बदमाशों ने किसी से चंद्रपाल के घर का पता पूछा और मकान के सामने पहुंचते ही गोलियां बरसा दी। थाना प्रभारी ने बताया कि एक गोली विश्वेंद्र के पैर को भेदती हुई दूसरी चारपाई पर सो रही उसकी बहन शालू के पेट में जा लगी। उन्होंने कहा कि दोनों को तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है और इस वारदात के मकसद को जानने का प्रयास कर रही है।


**कार्यालय :ग्राम पंचायत खेमकरनपुर वि.खं. अहरौला–आजमगढ**

**पत्रांक : मेमो/निविदा सूचना/2025–26** **दिनांक : 27.04.2025**

**अल्पकालीन निविदा सूचना**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायत खेमकरनपुर वि.ख. अहरौला द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/मनरेगा/एस.एल.डब्ल्यू.एम./एस.बी.एम/.स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से आर.आर.सी. सेन्टर निर्माण, अन्नपूर्णा भवन निर्माण, सामुदायिक शौचालय, अन्त्येष्टि गृह, अतिरिक्त कक्ष, सी0एस0सी0 निर्माण, एएनएम सेन्टर, पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण/मरम्मत, गौशाला निर्माण, बारात घर निर्माण, विद्यालय का कायाकल्प, बाउण्ड्री वाल निर्माण व मरम्मत सम्बन्धित कार्यो पर सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जिसे इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 28.04.2025 से दिनांक 15.05..2025 को शाम 05.00 बजे तक सीलबन्द निविदा ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा की जा सकती है। जो दिनांक 16.05.2025 को ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12:00 बजे से खोली जायेगी।

| क्र.सं. | सामग्री का नाम | मात्रा | दर |
|---|---|---|---|
| 1 | ईंट 150 एम.एम. प्रथम श्रेणी, ईंट एसओबी | प्रति हजार | |
| 2 | सीमेन्ट | प्रति बैग | |
| 3 | डाला गिट्टी, ईट गिट्टी, स्टोन ब्लास्ट | प्रति घन मी. | |
| 4 | मोरंग बालू/ सफेद बालू,गंगा बालू | प्रति घन मी. | |
| 5 | साइन बोर्ड | प्रति नग | |
| 6 | कम्पयूटर, इन्वर्टर, आलमारी, कुर्सी/ स्टेशनरी सामान | प्रति नग | |
| 7 | पेन्ट पुट्टी | प्रति ली. | |
| 8 | सरिया विभिन्न साइज | प्रति कुन्तल | |
| 9 | करकट/एस्बेस्टर सीट | प्रति नग | |
| 10 | सोलर लाइट, विद्युत सामग्री, स्ट्रीट लाइट, हाईमास्ट लाईट | प्रति नग | |
| 11 | शौचालय निर्माण सामाग्री, कार्यालय स्थापना सामाग्री | | |
| 12 | ह्यूम पाइप (विभिन्न साईज) | प्रति मी. | |
| 13 | हैंडपंप रिबोर/मरम्मत हेतु सामग्री | | |
| 14 | सीमेंटेड ईट/इण्टरलाकिंग ईट/पटिया/पत्थर बेंच | प्रति हजार | |
| 15 | सफाई किट/कोविड–19 किट, | | |
| 16 | समरसेबुल टंकी/एस्बेस्टस सीट, आर0ओ0 प्लान्ट | प्रति नग | |
| 17 | कायाकल्प सामाग्री | | |
| 18 | पंचायत भवन निर्माण सामग्री/ आंगनबाड़ी भवन निर्माण सामाग्री | | |
| 19 | डस्टबिन, कूड़ा गाड़ी, ई–रिक्शा, साईकिल रिक्शा, भस्मक/इन्सीनेटर | प्रति नग | |
| 20 | इत्यादि | | |

**शर्ते –** . विस्तृत जानकारी/नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 2. ग्राम पंचायत में निविदा निरस्त करने एवं संशोधन करने का अधिकार रहेगा।

**ग्राम प्रधान – भीमसेन गुप्ता** **सचिव – अरूण कुमार**
**ग्राम पंचायत – खेमकरनपुर, विकासखंड – अहरौला, आजमगढ**



**कार्यालय :ग्राम पंचायत विसईपुर वि.खं. अहरौला–आजमगढ़**

**पत्रांक : मेमो/निविदा सूचना/2025–26** **दिनांक : 27.04.2025**

**अल्पकालीन निविदा सूचना**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायत विसईपुर वि.ख. अहरौला द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/मनरेगा/एस.एल.डब्ल्यू.एम./एस.बी.एम/.स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से आर.आर.सी. सेन्टर निर्माण, अन्नपूर्णा भवन निर्माण, सामुदायिक शौचालय, अन्त्येष्टि गृह, अतिरिक्त कक्ष, सी0एस0सी0 निर्माण, एएनएम सेन्टर, पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण/मरम्मत, गौशाला निर्माण, बारात घर निर्माण, विद्यालय का कायाकल्प, बाउण्ड्री वाल निर्माण व मरम्मत सम्बन्धित कार्यो पर सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जिसे इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 28.04.2025 से दिनांक 15.05. .2025 को शाम 05.00 बजे तक सीलबन्द निविदा ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा की जा सकती है। जो दिनांक 16.05.2025 को ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12:00 बजे से खोली जायेगी।

| क्र.सं. | सामग्री का नाम | मात्रा | दर |
|---|---|---|---|
| 1 | ईंट 150 एम.एम. प्रथम श्रेणी, ईंट एसओबी | प्रति हजार | |
| 2 | सीमेन्ट | प्रति बैग | |
| 3 | डाला गिट्टी, ईट गिट्टी, स्टोन ब्लास्ट | प्रति घन मी. | |
| 4 | मोरंग बालू/ सफेद बालू,गंगा बालू | प्रति घन मी. | |
| 5 | साइन बोर्ड | प्रति नग | |
| 6 | कम्पयूटर, इन्वर्टर, आलमारी, कुर्सी/ स्टेशनरी सामान | प्रति नग | |
| 7 | पेन्ट पुट्टी | प्रति ली. | |
| 8 | सरिया विभिन्न साइज | प्रति कुन्तल | |
| 9 | करकट/एस्बेस्टर सीट | प्रति नग | |
| 10 | सोलर लाइट, विद्युत सामग्री, स्ट्रीट लाइट, हाईमास्ट लाईट | प्रति नग | |
| 11 | शौचालय निर्माण सामाग्री, कार्यालय स्थापना सामाग्री | | |
| 12 | ह्यूम पाइप (विभिन्न साईज) | प्रति मी. | |
| 13 | हैंडपंप रिबोर/मरम्मत हेतु सामग्री | | |
| 14 | सीमेंटेड ईट/इण्टरलाकिंग ईट/पटिया/पत्थर बेंच | प्रति हजार | |
| 15 | सफाई किट/कोविड–19 किट, | | |
| 16 | समरसेबुल टंकी/एस्बेस्टस सीट, आर0ओ0 प्लान्ट | प्रति नग | |
| 17 | कायाकल्प सामाग्री | | |
| 18 | पंचायत भवन निर्माण सामग्री/ आंगनबाड़ी भवन निर्माण सामाग्री | | |
| 19 | डस्टबिन, कूड़ा गाड़ी, ई–रिक्शा, साईकिल रिक्शा, भस्मक/इन्सीनेटर | प्रति नग | |
| 20 | इत्यादि | | |

**शर्ते –** . विस्तृत जानकारी/नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 2. ग्राम पंचायत में निविदा निरस्त करने एवं संशोधन करने का अधिकार रहेगा।

**ग्राम प्रधान – रीतू सिंह** **सचिव – अरूण कुमार**
**ग्राम पंचायत – विसईपुर, विकासखंड – अहरौला, आजमगढ**



**कार्यालय :ग्राम पंचायत शम्भूपुर वि.खं. अहरौला–आजमगढ़**

**पत्रांकः मेमो/निविदा सूचना/2025–26** **दिनांक : 27.04.2025**

**अल्पकालीन निविदा सूचना**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायत शम्भूपुर वि.ख. अहरौला द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/मनरेगा/एस.एल.डब्ल्यू.एम./एस.बी.एम/.स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से आर.आर.सी. सेन्टर निर्माण, अन्नपूर्णा भवन निर्माण, सामुदायिक शौचालय, अन्त्येष्टि गृह, अतिरिक्त कक्ष, सी0एस0सी0 निर्माण, एएनएम सेन्टर, पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण/मरम्मत, गौशाला निर्माण, बारात घर निर्माण, विद्यालय का कायाकल्प, बाउण्ड्री वाल निर्माण व मरम्मत सम्बन्धित कार्यो पर सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जिसे इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 28.04.2025 से दिनांक 15.05. .2025 को शाम 05.00 बजे तक सीलबन्द निविदा ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा की जा सकती है। जो दिनांक 16.05.2025 को ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12:00 बजे से खोली जायेगी।

| क्र.सं. | सामग्री का नाम | मात्रा | दर |
|---|---|---|---|
| 1 | ईंट 150 एम.एम. प्रथम श्रेणी, ईंट एसओबी | प्रति हजार | |
| 2 | सीमेन्ट | प्रति बैग | |
| 3 | डाला गिट्टी, ईट गिट्टी, स्टोन ब्लास्ट | प्रति घन मी. | |
| 4 | मोरंग बालू/ सफेद बालू,गंगा बालू | प्रति घन मी. | |
| 5 | साइन बोर्ड | प्रति नग | |
| 6 | कम्पयूटर, इन्वर्टर, आलमारी, कुर्सी/ स्टेशनरी सामान | प्रति नग | |
| 7 | पेन्ट पुट्टी | प्रति ली. | |
| 8 | सरिया विभिन्न साइज | प्रति कुन्तल | |
| 9 | करकट/एस्बेस्टर सीट | प्रति नग | |
| 10 | सोलर लाइट, विद्युत सामग्री, स्ट्रीट लाइट, हाईमास्ट लाईट | प्रति नग | |
| 11 | शौचालय निर्माण सामाग्री, कार्यालय स्थापना सामाग्री | | |
| 12 | ह्यूम पाइप (विभिन्न साईज) | प्रति मी. | |
| 13 | हैंडपंप रिबोर/मरम्मत हेतु सामग्री | | |
| 14 | सीमेंटेड ईट/इण्टरलाकिंग ईट/पटिया/पत्थर बेंच | प्रति हजार | |
| 15 | सफाई किट/कोविड–19 किट, | | |
| 16 | समरसेबुल टंकी/एस्बेस्टस सीट, आर0ओ0 प्लान्ट | प्रति नग | |
| 17 | कायाकल्प सामाग्री | | |
| 18 | पंचायत भवन निर्माण सामग्री/ आंगनबाड़ी भवन निर्माण सामाग्री | | |
| 19 | डस्टबिन, कूड़ा गाड़ी, ई–रिक्शा, साईकिल रिक्शा, भस्मक/इन्सीनेटर | प्रति नग | |
| 20 | इत्यादि | | |

**शर्ते –** . विस्तृत जानकारी/नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 2. ग्राम पंचायत में निविदा निरस्त करने एवं संशोधन करने का अधिकार रहेगा।

**ग्राम प्रधान – शीला** **सचिव – अरूण कुमार**
**ग्राम पंचायत – शम्भूपुर, विकासखंड – अहरौला, आजमगढ**



**कार्यालय नगर पंचायत शमसाबाद जनपद– फर्रूखाबाद**

पत्रांक : 73/न.पं.–टेण्डर नोटिस/2025–26/शमसाबाद दिनांक : 26 अप्रैल, 2025

**अति अल्पकालीन ई–निविदा (निविदा सूचना)**

नगर पंचायत शमसाबाद में कान्हां गौशाला में गौवंशों हेतु भूसा–दाना क्रय कार्य हेतु अधिकृत ठेकदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में कान्हां गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत गौशाला में रखे गये निराश्रित गौवंशो के चारे–भूसे की व्यवस्था हेतु प्राप्त धनराशि से निकाय में निम्नांकित कार्य ई टेण्डरिंग के माध्यम से कराया जाना है जिसके डाक्यूमेंट बेबसाइड पर दिनांक 29–04–2025 से 06–05–2025 तक उपलब्ध हैं जो कि बेबसाइड से डाउनलोड व अपलोड किये जा सकते हैं तथा दिनांक 26–05–2025 को अपरान्ह 04.00 बजे निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।

| क्र. सं. | नगर पंचायत | प्रारम्भ दिनांक एवं समय |
|---|---|---|
| 1 | Tender Release | 29–04–2025, 11.00 बजे |
| 2 | Tender close date | 06–05–2025, 02.00 बजे |

**हस्ता/–**
**अधिशासी अधिकारी**
**नगर पंचायत शमसाबाद**
**जनपद–फर्रूखाबाद**

**अध्यक्ष**
**नगर पंचायत शमसाबाद**
**जनपद–फर्रूखाबाद**


# पत्नी की हत्या के आरोप में पति, पहली पत्नी और बेटी गिरफ्तार

बस्ती, 27 अप्रैल (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति, उसकी पहली पत्नी और बेटी को उसकी दूसरी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) सत्येंद्र भूषण तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि भुवर निरंजनपुर निवासी रामबली कनौजिया ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उसकी बहन सुनीता ने अपने पहले पति की मौत के बाद शादीशुदा नोहर चौधरी से मंदिर में दूसरी शादी कर ली थी। प्राथमिकी के अनुसार, 24 और 25 अप्रैल की दरमियानी रात को सुनीता नोहर के घर पर थी, तभी उसकी हत्या कर दी गई। तिवारी ने बताया कि नोहर, उसकी पहली पत्नी विद्यावती उर्फ संतोला और विवाहित बेटी लक्ष्मी को सुनीता की दुपट्टे से गला घोंटकर और डंडे से पीट–पीटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

तिवारी के मुताबिक, 'पुलिस जांच में सामने आया है कि सुनीता बीमारी के इलाज के नाम पर नोहर से लगातार पैसे मांगती थी, जिससे तंग आकर उसने संतोला और लक्ष्मी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।' उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया।

# मुख्यमंत्री योगी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण

लखनऊ, 27 अप्रैल (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का हरदोई में निरीक्षण किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हरदोई जिले के बिलग्राम में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे।

इस दौरान उनके साथ आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बनाया जा रहा 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के पश्चिमी और

हापुड़ में रविवार को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

पूर्वी हिस्सों को आपस में जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में किया था जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ स्वयं इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि काम गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा हो।

## पटाखा फैक्टरी की जांच में जुटी पुलिस

# परिजनों का आरोप : पहलगाम नरसंहार की तरह हत्या की गई

सहारनपुर, 27 अप्रैल (जनसत्ता)।

देवबंद कोतवाली के तहत मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर ईगल फायरवक्र्स पटाखों की फैक्टरी में शनिवार प्रातः साढ़े छह बजे हुए धमाके में जान गंवाने वाले तीनों श्रमिकों जडौदाजट्ट के विकास, फतेहपुर के राहुल और गुनारसा के विशाल के परिजनों ने गिरफ्तार फैक्टरी मालिक नफीस पर आरोप लगाया है कि उनकी हत्या ऐसे की गई है कि जैसे आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करके जान ली थी।

गांव फतेहपुर निवासी मृतक दलित राहुल की पत्नी हेमलता ने देवबंद कोतवाली में नफीस और उसके दो पुत्रों नदीम एवं कासिफ के खिलाफ नामजद रपट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को घटना के बाद मौके से हिरासत में ले लिया था। जडौदाजट्ट निवासी मृतक विकास के पिता राजबल ने आज पत्रकारों को बताया कि तीनों को बांधकर आग लगाकर मारा गया है। इस बारे में एसपी देहात सागर जैन ने रविवार शाम बताया कि पुलिस इन आरोपों की जांच करेगी। गुनारसा के मृतक 23 वर्षीय विशाल की दो रोज पहले ही सगाई हुई थी। जबकि फतेहपुर निवासी राहुल की पत्नी हेमलता ने तीन माह पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। तीनों मृतकों के आश्रितों को चार–चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि फैक्ट्री में धमाके के वक्त ये तीनों श्रमिक थे। जिनकी मौत हुई है। कोई अन्य घायल या चोटिल नहीं है। आठ बजे 20–25 श्रमिक आने वाले थे। मृतक तीनों लोग पटाखे बनाने के बारूद की मिलावट कर रहे थे।

# कार्य में लापरवाही पर तीन पुलिसकर्मी निलंबित

सिद्धार्थनगर, 27 अप्रैल (जनसत्ता)।

जिले में तैनात आरआइ पुलिस लाइन और एसआइ को पुलिस अधीक्षक डा अभिषेक महाजन ने निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक (आरआइ) भूतनाथ गुप्ता, उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह यादव और उप निरीक्षक जियाउल्लाह सिद्दीकी को निलंबित किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 24 अप्रैल की रात में पुलिस लाइन ग्राउंड की साज, सज्जा करते समय टेंन रिक्रूट आरक्षियों को ग्राउंड में लोहे का पोल लगाते समय बिजली के तार से पोल टकराने से आरक्षी करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में आरआइ की लापरवाही को वजह मानते हुए पुलिस अधीक्षक ने प्रतिसार निरीक्षक भूतनाथ गुप्ता को निलंबित किया है।